

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

कैलाश चन्द्र पिता ललित नारायण ब्राह्मण नि. कुच. कलां वगैरा

बनाम

भवानी सिंह पिता जयसिंह राजपूत नि. कुच. कलां वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 527/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
22.05.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कुच. कलां प. ह. उंचा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 170, 176/4, 217, 252/1, 252/3, 253, 254, 270/2, 274 कुल किता 09 रकबा 3.2374 हैक्टेयर, आ. न. 310 रकबा 0.4613 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा ले रे एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम कुच. कलां प. ह. उंचा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 170, 176/4, 217, 252/1, 252/3, 253, 254, 270/2, 274 कुल किता 09 रकबा 3.2374 हैक्टेयर, आ. न. 310 रकबा 0.4613 हैक्टेयर की पडोसियान की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु गू अमिलेख निरीक्षक अमरवारी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000- रु. तथा किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 22.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)